

आदेश

~~२८~~ राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार के राज्य दीमा विभाग की 31 मार्च, 2019 को दीमा निधि विभागीका मूल्यांकन रिपोर्ट में को गई सिफारिशों के आधार पर निम्नलिखित वोनस घोषित किये जाने की रवीकृति प्रदान करते हैं :-

- 1 31.03.2019 को प्रवृत्त उन समस्त रावधि समाश्वासन संविदाओं पर जो 01.04.2018 को या उसके पश्चात अथवा प्रारंग की तारीख को, जो भी बाद में हो और 31.03.2019 के पूर्व खीकृत हुई हो प्रत्येक समाश्वासन दर्प की बाबत पूरी दीमाकृत राशि के लिए दीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त दीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि समिलित है, के प्रत्येक हजार पर ९०/- रुपये प्रतिवर्ष वा राज्यप्रतिवर्ती (रिवर्सनरी) वोनस।
- 2 31.03.2019 को प्रवृत्त उन समस्त आजीवन समाश्वासन संविदाओं पर जो 01.04.2016 को या उसके पश्चात अथवा प्रारंग की तारीख को, जो भी बाद में हो और 31.03.2019 के पूर्व खीकृत हुई हो प्रत्येक समाश्वासन दर्प की बाबत पूरी दीमाकृत राशि के लिए दीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त दीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि समिलित है, के प्रत्येक हजार पर ११२.५/- रुपये प्रतिवर्ष वा राज्यप्रतिवर्ती वोनस।
- 3 31.03.2019 के पश्चात और अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक परिपक्षता एवम् मृत्यु दावों में परिणित होने वाली उन समाश्वासन संविदाओं पर जो 31.03.2019 को या उसके पश्चात खीकृत हुई हो, प्रत्येक समाश्वासन के लिए निम्न प्रकार से अंतरिम वोनस :-  
 (1) रावधि समाश्वासन की दीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त दीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि समिलित है, पर ९०/- रुपये प्रति हजार प्रतिवर्ष।  
 (2) आजीवन समाश्वासन की दीमाकृत राशि, जिसमें अतिरिक्त दीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि समिलित है, पर ११२.५/- रुपये प्रति हजार प्रतिवर्ष।
- 4 अगला मूल्यांकन परिणाम घोषित होने तक परिपक्षता दावों में परिणित होने वाली पांचिसियों के बाबत समाश्वासन के प्रारंग होने से लेकर परिपक्षता की तारीख तक प्रत्येक समाश्वासन दर्प के लिए, दीमाकृत राशि जिसमें अतिरिक्त दीमाकृत राशि या विशेष वृद्धि समिलित है, पर प्रति हजार ५/- रुपये की दर से पर्यवतारी (टमीनल) वोनस (अतिरिम वोनस ले अविहित)
- 5 उपरोक्त में से 1, 2 एवम् 3 गे उल्लेखित वोनस की दरें उन समाश्वासन संविदाओं पर लागू होनी होनी जो इस आदेश के जारी होने के पूर्व परिपक्षता एवम् मृत्यु दावों में परिणित हो गये हैं, और ऐसी समाश्वासन संविदाएँ आदेश संस्था प 12(30)वित्त/राजस्व/76 लूप दिनांक 08.06.2021 द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार निपटायी जायेंगी।

(आज्ञा रू.

(वैद प्रकाश गुप्ता ) ४०/४०-१  
संयुक्त शासन सचिव,  
वित्त (दीमा) विभाग

४० ४० ३०



भीम

प्रमुख सचिव, नागरिक मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।

१. प्रमुख सचिव, नागरिक मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
२. समरत अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशेष शासन चाहिए।
३. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
४. समरत विभागाध्यक्ष।
५. समरत कल्पकर।
६. उपनामी निदेशक वित्त (कम्यूटर) विभाग।
७. राज्यालय पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव  
१४) १०/१०/२१

## निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक एफ १९/बीमा/व्य०एवंप०/२००३-०४/ १३६७-१५१७

दिनांक २०/१०/२१

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

१. निजी सचिव, निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर।
२. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय, जयपुर।
३. अतिरिक्त निदेशक (सिस्टम) मुख्यालय जयपुर को विभागीय एर्टल पर अपलोड एवं आवश्यक संशोधन हेतु।
४. अतिरिक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग समस्त संभाग कार्यालय।
५. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग समरत जिला कार्यालय।
६. पर्यवेक्षक बीमा (मूल्यांकन/लेखा एवं अंकेक्षण/आन्तरित जॉच रूल) अनुभाग, मुख्यालय जयपुर।
७. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (वामा)  
राज्य बीमा एवं प्रावधारी निधि विभाग  
राजस्थान जयपुर  
२०/१०/२१